संख्या : /जी0एस0/शिक्षा/A3-102/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक 26 दिसम्बर, 2019**

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्याः 764 मान्यता/के0यू0/2019–20 दिनांक 03.10.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **राजकीय महाविद्यालय, बलुवाकोट, पिथौरागढ़** को **एम0ए0 (हिन्दी, समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र)** पाठ्यक्रम में सत्र 2019–20 से 2020–21 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल व कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति द्वारा उक्त महाविद्यालय को **एम0ए0 (हिन्दी, समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र)** पाठ्यक्रम में **60 सीट** प्रति विषय के साथ **सत्र 2019–20** हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता के प्रस्ताव पर पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या/संस्तुति के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार आवश्यक मानकों के पूर्ण होनें की दशा में अस्थाई सम्बद्धता विषयक आदेश जारी करेगी तथा फैकल्टी अनुमोदन प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय यू0जी0सी0 विनियम 2009 के प्रस्तर 3.4.7 के अनुसार सम्बद्धता आदेश से 03 माह के भीतर जारी करेगा व कृत कार्रवाई की सूचना से मा0 कुलाधिपति महोदया को अवगत कराया जायेगा।

3– यू0जी0सी0 विनियमों में सत्र दर सत्र की अस्थाई सम्बद्धता के दृष्टिगत सत्र 2020–21 की सम्बद्धता विस्तारण पर विचार सत्र 2020–21 में ही मानक पूर्ण होनें की दशा में किया जायेगा।

4– तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ह0/–

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3408 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A3-102/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।